निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 18 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, किच्छा**, **उधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **उपजिलाधिकारी, किच्छा**, **उधमसिंहनगर** के माह **09/2015** से **06/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव** व श्री **खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो, एवं श्री **रविन्द्र कुमार जयन्त**, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **27.07.2018** से **01.08.2018** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

(1.)परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं श्री एस के सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.02.2016 से 02.03.2016 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2.) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कुमाऊं परिक्षेत्र, किच्छा**

(ii.) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	277.48	277.48	7.32	7.32	-	-
2016-17	-	-	296.67	296.67	6.99	6.99	-	-
2017-18	-	-	415.02	415.02	8.02	8.02	-	-
2018-19			386.85	386.85	3.97	3.97	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः निरंक

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत प्राप्त किया जाता है। इकाई कार्यालय, उपजिलाधिकारी, किच्छा, उधमसिंहनगर 'सी' श्रेणी की है।

उपजिलाधिकारी, किच्छा, उधमसिंहनगर विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
कानूगो/भूलेख निरीक्षक(मैदानी/पर्वतीय)
राजस्व उप निरीक्षक
लेखपाल/अमीन

(iV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपजिलाधिकारी, किच्छा, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छांदित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, किच्छा, उधमसिंहनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018, 11/2016, एवं 11/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग दो अ

प्रस्तरः1- ई-डिस्टक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 6.49 लाख के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्पयूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओ के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय के ई-डिस्टिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी किच्छा के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2016 से दिनांक 23 जुलाई 2018 तक ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत किच्छा तहसील में कुल 50379 प्रमाण पत्र बनाये गये। जिनमें से तहसील स्तर से 16786 प्रमाण पत्र जारी किये गये। उन लाभार्थियों से प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क प्राप्त किये गए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 33593 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किये गये उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 358773 शुल्क प्राप्त किये गये। इस प्रकार जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 1007790 शुल्क लिया जाना चाहिए। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 19.32 प्रति लाभार्थी प्रमाण पत्र की दर से 33593 लाभार्थियों से रू 649017 शुल्क कम प्राप्ति किये गये। जिसके कारण विभाग को रू 6.49 लाख की राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रकरण पर यथोचित निर्णय शासन स्तर से ही संभव है। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क का निर्धारण किये जाने के बाद भी कामन सर्विस सेन्टरों से कम शुल्क लिया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंगन किया गया था।

अतः ई-डिस्टिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 6.49 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

<u>प्रस्तर-02-</u> अनविज्ञ मदों की बैंक खातों में अवरूद्ध धनराशि रू 32.36 लाख।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, किच्छा, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य की अन्य योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, किच्छा** में खाता संख्या-34739997717 एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, किच्छा में खाता संख्या-000840100003828 का संचालन किया जा रहा था। उक्त खाते तहसीलदार किच्छा के पदनाम से है। उक्त खातों में 27 जुलाई, 2018 को खाता सख्या-34739997717 में रू 44.21 लाख तथा खाता संख्या- 000840100003828 में रू 30.52 लाख अर्थात उक्त दोनों खातों में रू 74.73 लाख की धनराशि जमा थी। उक्त दोनों खातों की कुल धनराशि में रू 42.37 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी जिसका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशि रू 32.36 लाख विगत कई वर्षो से अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत खातों का भविष्य में अवलोकन कर उच्चाधिकारियों के दिशा- निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः01- विविध आर0सी0 की धनराशि रू 83.17 लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी,किच्छा-ऊधम सिंह नगर के मुख्य एवं विविध देयों/ आर0सी0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक विविध देयों में रू 83.17 लाख के विविध देयों/आर0सी0 की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित थी। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	**कुल मुख्य व विविध देयों/ आर0सीज0 की वसूली हेतु लम्बित धनराशि**
2015-16	17.95
2016-17	24.47
2017-18	40.75
योग	**83.17**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही गतिमान है। यथाशीघ्र वसूली कर ली जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तरः2-</u> मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण तथा वितरण हेतु धनराशि तहसील स्तर पर लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, किच्छा, ऊधम सिंह नगर के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्त धनराशि रू 39.16 लाख के सापेक्ष रू 39.16 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त रू 37.74 लाख के सापेक्ष रू 29.34 लाख अर्थात दोनों वर्षों में कुल प्राप्त धनराशि रू 76.90 लाख के सापेक्ष रू 68.50 लाख धनराशि का वितरण तहसील स्तर से किया गया था। शेष धनराशि रू 8.40 लाख (सलंग्न **परिशिष्ट-अ)** लेखापरीक्षा तिथि तक 41-लाभार्थियों में वितरण हेतु तहसील स्तर पर लम्बित थी। जबकि यह धनराशि कार्यालय में एक वर्ष पूर्व प्राप्त हो गयी थी। जिसका वितरण 31 मार्च,2018 तक हो जाना चाहिए था या शासन को वापस हो जानी चाहिए थी। आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया है कि दोनो वित्तीय वर्षों में वितरित की गयी कुल धनराशि रू 68.50 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी को प्रेषित नहीं किये गये थे। जो वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रेषित किये जाने चाहिए थे। इसीक्रम में आगे पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिका का वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक न तो मासिक लेखाबन्दी की जा रही थी न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायी जा रही थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि भविष्य में उपभोग प्रमाण-पत्रों को जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें तथा अवितरित धनराशि के सम्बंध में लाभार्थियों का सत्यापन करवाकर उक्त धनराशि वितरित कर दी जायेगी तथा यदि कोई राशि शेष रह जाती है तो वापस कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

अवितरित धनराशि के लाभार्थियों की सूची-

क्र0 सं0	लाभार्थियों का नाम एवं पता	प्रयोजन का विवरण।	धनराशि प्राप्ति की तिथि	अवितरित धनराशि।
1	श्रीमती लखविन्दर कौर पत्नी श्री मलकीत सिंह वार्ड न0 06 किच्छा	उपचारार्थ	17.05.2017	10000
2	श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मण दास म0न0 वी 152 आवास विकास किच्छा	उपचारार्थ	17.05.2017	15000
3	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री तेजपाल विकास कॉलोनी वार्ड न0 10 किच्छा	उपचारार्थ	31.05.2017	50000
4	श्री निवेश कुमार विश्वास पुत्र रिजोवर विश्वास बंगाली कॉलोनी किच्छा	घायल	01.07.2017	20000
5	श्रीमती राजोदेवी पत्नी श्री सतपाल ग्राम सतुईया किच्छा	घायल	01.07.2017	20000
6	श्रीमती कमला पत्नी श्री राजेन्दर ग्राम सिसई बण्डिया किच्छा	घायल	01.07.2017	20000
7	श्री चन्दन सिंह पुत्र हीरा लाल नि0वार्ड 02 किच्छा	मृतक वारिस पति	01.07.2017	50000
8	श्रीमती फातमा पत्नी सलीम खान नि0 रजानगर वण्डिया किच्छा	मृतक वारिस पति	01.07.2017	50000
9	श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री प्रेम प्रकाश नि0 बरा किच्छा	मृतक वारिस पति	01.07.2017	50000
10	श्रीमती शानो कौर पत्नी केहर सिंह नि0 भगवानपुर बखपुर किच्छा	अग्निकांण्ड	30.06.2017	15000
11	श्रीमती प्रीति पत्नी श्री शंकर पुरानी गल्ला मंण्डी वार्ड न0 13 किच्छा	उपचारार्थ	30.06.2017	15000
12	श्रीमती प्रेमवती पत्नी री सियाराम नि0 वण्डिया भट्टा वार्ड 02 किच्छा	उपचारार्थ	30.06.2017	25000
13	श्रीमती शीला पत्नी श्री सुशील कुमार गुप्ता नि0 बण्डिया भट्टा किच्छा	उपचारार्थ	30.06.2017	50000
14	श्री निठूरी साहनी पुत्र श्री सरजू नि0 नजीमाबाद धौरादाम किच्छा	उपचारार्थ	30.06.2017	50000
15	श्री सुशील कुमार पुत्र राम कुमार नि0 शान्तीपुरी खमिया न0 2 किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	10000
16	श्री दीवान राम पुत्र जसराम नि0 खमिया न0 किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	10000
17	श्री बहादुर पुत्र बीन बहादुर नि0 खुर्पिया किच्छा	सहायतार्थ	03.07.2017	10000
18	श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र देवीदत्त जोशी वार्ड न0 3 किच्छा	सहायतार्थ	03.07.2017	10000

19	श्रीमती सीमा देवी पत्नी सलिक राम नि0 सिसई वण्डिया किच्छा	सहायतार्थ	03.07.2017	10000
20	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र जल्ला सिंह नि0 धारादाम नजीभाबाद किच्छा	उपचार्थ	03.07.2017	10000
21	श्रीमती मुन्नी देवी पुत्र रामपाल नि0 सिसई वण्डियां वार्ड 14 किच्छा	पुत्र की मृत्यु पर सहायतार्थ	03.07.2017	15000
22	श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नी छोटे नि0 वरवपुर पन्तनगर, किच्छा	सहायतार्थ	03.07.2017	10000
23	श्री श्याम सुन्दर तिवारी पुत्र श्री कृष्णा तिवारी वार्ड न0 10 जनता स्कूल किच्छा	अग्निकाण्ड	03.07.2017	20000
24	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवान नि0 वेनी नगला पन्तनगर, किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	25000
25	श्रीमती रविदासी पत्नी नुकुल हलदार नि0 वेदी मौहल्ला वार्ड0 13 किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	30000
26	श्री चन्द्र देव पुत्र कमेश्वर नि0 नजीभाबाद सुर्यानगर किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	30000
27	श्रीमती सुवन्ना पत्नी बाबूराम नि0 टीचर्स कॉलोनी वार्ड न0-10 किच्छा	उपचारार्थ	03.07.2017	30000
28	श्रीमती रजनी पत्नी सुरेश नि0 नई सुनहरी वार्ड न0 03 किच्छा	सहयतार्थ	03.07.2017	5000
29	श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह सिरौलीकलॉ	उपचारार्थ	27.02.2018	15000
30	श्रीमती गुरूचरन कौर पत्नी श्री करतार सिंह धौरादाम नजीभाबाद किच्छा	उपचारार्थ	27.02.2018	10000
31	श्री लेखराम सिंह पुत्र श्री भूरे लाल नि0पुरानी मंण्डी किच्छा	उपचारार्थ	27.02.2018	10000
32	श्री राजू सिंह पुत्र श्री किशन सिंह नि0 सुनहरी वार्ड-06 किच्छा	उपचारार्थ	27.02.2018	10000
33	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री राम सिंह वार्ड 13 किच्छा	उपचारार्थ	27.02.2018	10000
34	श्री जरनैल ंसिह पुत्र स्व श्री केथ सिंह मिरधापुर	उपचारार्थ	27.02.2018	25000
35	श्री जसपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री तेजा सिंह वार्ड 06 किच्छा	उपचारार्थ	27.02.2018	35000
36	श्रीमती अंजू देवी पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश सिंह वार्ड 10 किच्छा		12.03.2018	10000
37	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नन्हे सिंह वार्ड 03 आर्यसमाज		12.03.2018	10000
38	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी भवानी सिंह वार्ड न0 04		12.03.2018	10000
39	श्रीमती परमिला देवी पत्नी श्री बालकिशन वार्ड 03 किच्छा		12.03.2018	10000
40	श्रीमती कुन्तो पत्नी श्री भीमसेन नि0 सिसई वार्ड -14 किच्छा		12.03.2018	10000
41	श्री मुरारी लाल पुत्र श्री सोहन लाल वार्ड 03 किच्छा		12.03.2018	10000
			योग	**840000**

STAN

प्रस्तरः1- राजकीय सेवकों को आवंटित राजकीय वाहन की निर्धारित दर से कटौती नही करना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई,1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून,2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, किच्छा-ऊधम सिंह नगर के वेतन बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री पंकज कुमार उपाध्याय,उपजिलाधिकारी को आवंटित राजकीय वाहन की माह 05/2017 से 09/2017 तक उनके वेतन से कुल रू 8000/ कम कटौती तथा श्री नरेश चन्द्र, उपजिलाधिकारी के वेतन से कुल रू 8000/ कम कटौती की गयी थी अर्थात उक्त दोनो अधिकारियों से प्रश्नगत अवधि में आवंटित राजकीय वाहन की उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से कम(रू 1600/प्रति माह) कटौती की कुल धनराशि रू 16000/लेखापरीक्षा तक कटौती हेतु लम्बित थी। विस्तृत विवरण निम्नवत है-

अधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि		लम्बित कटौती की कुल धनराशि
श्री पंकज कुमार उपाध्याय, उपजिलाधिकारी	05/2017	09/2017	1600x5 = 8000
श्री नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उपजिलाधिकारी	05/2017	09/2017	1600x5 = 8000
योग			= 16000

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि शासनादेशानुसार कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2- आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रेषित न किया जाना।

शासन के पत्र संख्या-592/XVIII-(2)/17-4(14)/2015 आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के अनुसार आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का दिनांकः 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, किच्छा, ऊधम सिंह नगर के देवीय आपदा से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक रू 50.00 लाख का आवंटन किया गया था। तहसील द्वारा कुल आवंटन के सापेक्ष रू 5.80 लाख व्यय किया गया था। उक्त निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि के व्ययोंपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उक्त शासनादेशानुसार उच्चाधिकारी को प्रेषित किये जाने चाहिए थे, जो लेखापरीक्षा तक प्रेषित नहीं किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वर्ष	**कुल बजट आवंटन**	**आवंटन के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**समर्पण की राशि**	**समर्पण तिथि**
2016-17	25.00	2.71	17.00	17.00	22.12.2016
			5.29	5.29	31.03.2017
2017-18	25.00	3.09	21.91	21.91	31.03.2018
योग	**50.00**	**5.80**		**44.20**	

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युतर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तरः3-</u> राष्ट्रीय कृत कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों/रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का संदिग्धपूर्ण प्रतीत होना।

राष्ट्रीय कृत कार्यक्रम 'कृषि गणना योजना 2015-16 हेतु राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़ देहरादून द्वारा निर्गत निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-3 एवं 4 में उल्लिखित है कि जिला स्तर पर रोस्टर के आधार पर सभी ग्रामों का निरीक्षण निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जाये। निरीक्षण के उपरान्त उसकी एक-एक प्रति सम्बंधितों को तथा एक प्रति प्रदेश मुख्यालय को प्रेषित कर दी जाय। निरीक्षण हेतु ग्रामों का प्रतिशत इस प्रकार से हैः- **राजस्व निरीक्षकः** अपने अधीनस्थ राजस्व उप निरीक्षकों(पटवारी/लेखपाल) के 40-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र एल-1 एवं 80-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच के जांच करेंगें। **नायब तहसीलदार :** तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 10-प्रतिशत एल-1 एवं 10- प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **तहसीलदार** : तहसील के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त ग्रामों में से 05-प्रतिशत ग्रामों के एल-1 एवं 05-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें। **उपजिलाधिकारी** : तहसील के 02-प्रतिशत ग्रामों के एल-1, एल-2 एवं 02-प्रतिशत ग्रामों के रूपपत्र-एच की जांच करेंगें।

कार्यालय,उपजिलाधिकारी, किच्छा, ऊधम सिंह नगर के राष्ट्रीय कृष कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित तहसील द्वारा लेखपालों से तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02, एल-03, तालिका, रजिस्टर जिसमें रूपपत्रों का रख-रखाव किया गया हो एवं रूपपत्र-एच अन्य सम्बंधित अभिलेख जो उच्चाधिकारी को प्रेषित किये हो, से सम्बंधित सूचनाओं की द्वित्तीय प्रतियां या सम्बंधित अभिलेखों का तहसील स्तर में उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 58 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01,02 एवं एच तैयार किये गये थे। कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये थे। तहसील स्तर पर संदर्भित योजना हेतु जिला स्तर से उपलब्ध कराये गये रूपपत्रों के रख-रखाव हेतु पंजिका भी नहीं बनायी गयी थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त योजना हेतु प्रश्नगत तहसील को कितने रूपपत्र उपलब्ध करवायें गये थे तथा कितने रूपपत्र अवशेष थे। जबकि तहसील स्तर पर उक्त पंजिका का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। सम्बंधित ग्रामों के उप-निरक्षकों द्वारा तैयार किये गये रूपपत्रों का तहसील स्तर पर उल्लिखित प्रतिशतानुसार उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन/निरीक्षण किया जाना चाहिए था जिससे सम्बंधित अभिलेख तहसील स्तर पर न होने के कारण संदिग्धपूर्ण प्रतीत होता है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित मूल अभिलेख जिला कार्यालय को प्रेषित कर दिये गये है तथा भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृष कार्यक्रम के उपयोगार्थ ऑकड़ों का तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित ऑकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों की विश्वासनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
29/2015-16	-	01,02	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
29/2015-16	**शून्य**	**अप्रस्तुत**	**कोई नही**	**-**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य ------------------------------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, किच्छा,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री जोग दण्डे जिजय कुमार के	उपजिलाधिकारी (आईएएस)	15.10.2015	05.04.2016
2.	श्री डी पी सिंह	उपजिलाधिकारी(पीसीएस)	05.04.2016	14.09.2016
3.	श्री चन्द्र सिंह इमलाल	उपजिलाधिकारी(पीसीएस)	14.09.2016	26.09.2016
4.	श्री नरेश दुर्गापाल	उपजिलाधिकारी(पीसीएस)	27.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **उप-जिलाधिकारी, किच्छा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र